# कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम (छ.ग.)

Phone 07741-232895, Fax No- 07741-232987, E-Mail : zp-kawardha.cg@nic.in

## //आदेश//

क्रमांक/ 1567 /जिपं./NRLM/2019–20 कबीरधाम दिनांक ..12../03/2020

राज्य मिशन संचालक SRLM विकास आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ, इन्द्रावती भवन नया रायपुर के पत्र कं./3995/वि–6/NRLM/HR&A/2019 नया रायपुर दिनांक 02.02.2019 एवं उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमांक 549/वि–6/पंग्राविवि/NRLM/HR&A/2018 नया रायपरु दिनांक 24.05.2018 में प्रदत्त अधिकार के तहत् विज्ञापित **"लेखा सह एमआईएस सहायक"** (संविदा) के पद पर जारी अंतिम चयन सूची से मेरिट के आधार पर कालम कं 02 में अंकित अभ्यर्थी को कालम कं. 09 में अंकित स्थान पर राशि रू. 16445/– (सोलह हजार चार सौ पैंतालीस रू. मात्र) एकमुश्त मासिक मानदेय पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" अंतर्गत निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

| क. | चयनित का नाम | पिता/पति का नाम | पुरूष/ महिला | वर्ग | आरक्षण श्रेणी | पता | पदस्थापना जिला | पदस्थापना क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | दुर्गा प्रसाद यादव | गोविंद राम यादव | पुरूष | अपिव | अनारक्षित | ग्राम नुनियाकछार पो. खैरवार जिला मुंगेली | कबीरधाम | ज.पं. बोड़ला |
| 2 | रामेश्वर प्रसाद जायसवाल | गंगाराम जायसवाल | पुरूष | अपिव | अपिव | न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर नियर नेहरू चौक जिला बिलासपुर | कबीरधाम | ज.पं. स.लोहारा |
| 3 | बसंत टोप्पो | हबिल टोप्पो | पुरूष | अजजा | अजजा | एमक्यू 294 दीपका कालोनी आजाद चौक एसईसीएल गेवरा परियोजना जिला कोरबा | कबीरधाम | ज.पं. कवर्धा |

### नियम एवं शर्ते–

1. आपकी नियुक्ति विकासखण्ड मिशन प्रबंधन इकाई के सदस्य के रूप में होगी।
2. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 01 वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा।
3. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क एफ.9–1/2020/1–3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
4. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रू॰ में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. आपको अपनी उपस्थिति दिनांक ..23../03/2020 तक "बिहान" कार्यालय के जिला मिशन प्रबंधन इकाई जिला पंचायत कबीरधाम के समक्ष देनी होगी। उपस्थित के समय शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, स्थायी जाति प्रमाण पत्र व अनुविभागीय अधिकारी अथवा उनसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्रों की मूल व स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा/बोड़ला एवं स.लोहारा आपके प्रतिवेदक अधिकारी होंगे।
10. यह नियुक्ति पद ग्रहण तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु पूर्णतः अनुबंध आधार पर होगी।
11. किसी भिन्न प्रकृति के व्यय का भुगतान/प्रतिपूर्ति संस्था के द्वारा नहीं किया जावेगा।
12. आपको सेवा अवधि में अन्य किसी तरह के अंशकालिक कार्य/पूर्ण कालिक कार्य/कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। यदि इसकी अवहेलना की जाती है तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
13. अनुबंध नियुक्ति की अवधि में आप किसी भी चुनाव में यथा—नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम/त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, मण्डी समितियों के सदस्य/पदाधिकारी के रूप में संचालित निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेगें।
14. आपसे अनुबंध प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षा है कि आप सदैव अपने पद पर एवं संस्था की गरिमा बनाए रखते हुए संस्था के उद्‌देश्यों एवं सिंद्धातों के प्रति समर्पित रहेंगे। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप ऐसे किसी कृत्य यथा सार्वजनिक भाषण/वक्तव्य से दूर रहेंगे जिससे अनुबंध संबंधों के लिए आवश्यक तत्व यथा ईमानदारी, स्वतंत्रता, निष्पक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। आप "बिहान" कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नियंत्रक सक्षम अधिकारी की बिना सहमति के अन्य किसी स्त्रोतों से पक्ष, भेंट, पारिश्रमिक, अन्य हित लाभ ग्रहण नहीं कर सकेंगें।
15. आपके अनुबंध सेवा के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आवश्यकतानुसार आपकी सेवा अन्य विकासखण्डों में ले सकेंगे।
16. यदि आप उपरोक्त वर्णित समय पर अपनी उपस्थित नहीं देते है तो यह नियुक्ति अनुबंध स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

कृपया अपनी सहमति से जिला कार्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 23/03/2020 के पूर्व अवश्य सूचित करें। नियुक्ति पत्र में उल्लेखित नियम/शर्त मान्य होने के प्रमाणीकरण के रूप में नियुक्ति पत्र की प्रति में सहमति का उल्लेख करते हुए अपने हस्ताक्षर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम के कार्यालय में उपस्थिति के समय जमा करेंगे।

**(कलेक्टर, जिला कबीरधाम द्वारा अनुमोदित)**

**(विजय दयाराम के)**
**(IAS)**
**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जिला पंचायत कबीरधाम (छ0ग0)**

पृ. क्रमांक/1368/जिपं./NRLM/2019—20 कबीरधाम दिनांक 12/03/2020

**प्रतिलिपि :—**

1. मिशन संचालक, एसआरएलएम विकास आयुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला कबीरधाम को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।
5. जिला रोजगार अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कवर्धा/पंडरिया/बोड़ला/स.लोहारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित ............................................................................................................ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. आदेश नस्ती (गॉड फाईल हेतु)।
9. कार्यालयीन सूचना पटल चस्पा हेतु।

12/3/20

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**जिला पंचायत कबीरधाम (छ0ग0)**

MIS Joining